

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी३/१, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 13 ()सा.सु./वृ.क./नियम/सान्याअवि/14/ 917

जयपुर, दिनांक: 6 जनवरी, 2015

आदेश

वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के पैरा संख्या-172 पर की गई घोषणा के अनुक्रम में विभाग द्वारा संचालित राजकीय वृद्धाश्रमों के लिये मैस-भत्ते की दर राशि 1 हजार 750. रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह से बढ़ाकर 1हजार 900रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह (प्रतिवर्ष 12माह के लिये) किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी होंगे।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-II) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या-161401358 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा दी गयी सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

M 5.1.15

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13 ()सा.सु./वृ.क./नियम/सान्याअवि/14/ 918-52

जयपुर, दिनांक: 6 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज०, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज०, जयपुर।
- 6 संयुक्त सचिव, वित्त व्यय-II विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 कार्यालय निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा न०-98-ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 8 जिला कलक्टर, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर
- 9 वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास
- 10 कोषाधिकारी, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/अजमेर।
- 11 संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
- 12 उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/अजमेर।
- 13 ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, मुख्यावास को विभागीय बैवसाईट हेतु
- 14 लेखाकार, आडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
- 15 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(सा०सु०)